

निर्णय
23-8-2024

निर्णय
21-8-2024

2024/549

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
अनिल कुमार बनाम भागीरथ आदि
वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 402 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
14.08.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड समन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 20.08.2024 को पेश हो।	
20.8.2024	वकुलार फरिक्तेन उपखण्ड की वादी क प्रकीर्षण को 19.8.2024 को दाखिल अहकाम आकर राजीनामा पेश किया जिसे बाद तर्कीक शामिल फर्कल किया गया। प्रजावनी कास्टे स्टेट जजक आर्दीका तारीख 21.8.2024 को पेश हो।	<p>आंन</p> <p>भागीरथ</p> <p>शुभम राव</p> <p>14/8/24</p> <p>कुलीन विनोद</p> <p>अजय</p>
21.08.2024	वकुलार फरिक्तेन उपखण्ड की स्टेट जजक प्राप्त पदस सुमी गई। प्रजावनी का अवलोकन किया गया। प्रजावनी पर उपलब्ध रिक्वाइर व वादी प्रती वादी के राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्ली किया जा रहा है। सर्व बिजल सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फर्कल किया जाये। पत्रावली नम्बर को कम की जाकर बाद तर्कीक तर्कीक जाकर दाखिल अफतर हो।	<p>पुष्टिपत्र</p> <p>शुभम राव</p> <p>एडवोकेट</p> <p>वकील वादी</p> <p>Ranveer</p> <p>20/08/2024</p>

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर



डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 402/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

अनिल कुमार पुत्र भागीरथ गोदारा जाति जाट निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राज0।

-वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्णलाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री राकेशकुमार भाकर वकील-वादी

श्री कुलदीप बिश्नोई वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2

राजपरोकार प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांक:- 21-08-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 7 एस.पी.डी. के खाता संख्या नया 55 पुराना 33 के प0नं0 106/389 मु0नं0 14 के किला नं0 3/1 की 0.2197है0, 8/1 की 0.2197है0, 13/2 की 0.1980है0, प0नं0 107/389 मु0नं0 13 के किला नं0 1/2 की 0.2280है0, 2 की 0.2530है0, 3/1 की 0.0782है0, 8/1 की 0.0782है0, 9 की 0.2530है0, 10/2 की 0.2280है0, 11/2 की 0.2280है0, 12 की 0.2530है0, 13/1 की 0.0820है0, 18/2 की 0.0820है0, 19 की 0.2530है0, 20/2 की 0.2280है0, 21/2 की 0.2020है0, 22/2 की 0.2280है0, 23/3 की 0.0738है0 कुल तादादी 3.3856है0 कमाण्ड भूमि व इसी चक 7 एस.पी.डी. के खाता संख्या नया 54 पुराना 33 के प0नं0 106/389 मु0नं0 14 के किला नं0 13/1 की 0.0250है0, प0नं0 107/389 मु0नं0 13 के किला नं0 15/2 की 0.0250है0, 16/1 की 0.0250है0, 25/4 की 0.0250है0 कुल 0.1000है0 भूमि मे से 1/5 हिस्सा व चक 5 एस.पी.डी.ए के खाता संख्या नया 53 पुराना 2 के प0नं0 120/391 मु0नं0 3 के किला नं0 19/1 की 0.0558है0, 20 की 0.2530है0, 21/2 की 0.2280है0, 22/3 की 0.0504है0 कुल तादादी 0.5872है0क0 भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जिसमे से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिफेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21-08-2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर